गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)

पत्र सं॰ 292 / मा॰ प्लान अनुभाग / 2024 **दिनांक : 06 / 12 / 2024**

"सार्वजनिक सूचना"

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खसरा सं॰–240 मि॰ राजस्व ग्राम मोरटा, गाजियाबाद के क्षेत्रफल 29570.00 वर्गमी॰ भूमि पर मै॰ वैल्यू इन्फ्राकॉन इण्डिया प्रा॰ लि॰ द्वारा संशोधित ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त स्थल पर पूर्व में संशोधित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र संख्या–985 / जीएमपी / जीएच / 10–11 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.10.2010 को स्वीकृत किया गया, तदोपरान्त स्वीकृत मानचित्र दिनांक 23.02.2011 को निर्गत कर दिया गया। मानचित्र स्वीकृति उपरान्त स्थल पर टॉवर–ए, बी, सी व डी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा टॉवर ई का निर्माण 2बी+जी+12 तल, टावर–एफ का निर्माण 2बी+जी+12 तल, टावर–जी का निर्माण 2बी+जी+11 तल एवं टावर–एच का निर्माण 2बी+जी+10 तल तक किया गया है. जिसका प्रवर्तन अनुभाग द्वारा शमन किया जा चुका है। विकासकर्त्ता द्वारा अनुमन्य के अन्तर्गत अतिरिक्त निर्माण प्रस्तावित करते हुए संशोधित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, संशोधित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र की अनुज्ञा हेतु एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति / सुझाव उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति / सुझाव देना है तो वे अपनी आपत्ति / सुझाव दो प्रतियों में मुख्य नगर नियोजक, गा॰वि॰प्रा॰ के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की दिनाँक से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त आपत्ति / सुझाव पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

मुख्य नगर नियोजक

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, f : @ Gda Ghaziabad : @ gdagzb

हेल्पलाईन 0120-4418 384, व्हाट्सएपः 9990988004 वेबसाईटः www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर .... हमारा संकल्प